

Nursing

हरियाणा सरकार  
स्वास्थ्य विभाग  
अधिसूचना

दिनांक 4 फरवरी, 1998

मा० का० नि० 71/संवि०/अनु० 309/98.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309  
नुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल,  
द्वारा, हरियाणा स्वास्थ्य विभाग, नर्सिंग कर्मचारी तथा लेडी हाऊस कीपर (ग्रुप  
में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले  
लिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

भाग I—सामान्य

1. ये नियम हरियाणा स्वास्थ्य विभाग, नर्सिंग कर्मचारी तथा लेडी हाऊस (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1998, कहे जा सकते हैं। संक्षिप्त नाम।

2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।

- (क) "बोर्ड" से अभिप्राय है, हरियाणा अधीनस्थ सेवाएं प्रवरण बोर्ड ;  
(ख) "महानिदेशक" से अभिप्राय है, महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा ;  
(ग) "सीधी भर्ती" से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो सेवा में से पदोन्नति या  
भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे  
किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो ;  
(घ) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार ;  
(ङ) "संस्था" से अभिप्राय है,—

- (i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई भी संस्था ; या  
(ii) इन नियमों के प्रयोजन के लिये, सरकार द्वारा मन्यता प्राप्त कोई अन्य  
संस्था ;  
(ज) "मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है,—  
(i) भारत में विधि द्वारा नियमित कोई विश्वविद्यालय ; या

- (ii) 15 अगस्त, 1947, से पूर्व हुई परीक्षा में परिणाम स्वरूप प्राप्त उपाधि, उपाधि-पत्र (डिप्लोमा) या पत्राण पत्र की दशा में पञ्जाब, हिन्द् या ढाका विश्वविद्यालय; या
- (iii) कोई अन्य विश्वविद्यालय, जो इन नियमों के प्रयोजन के लिये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो;
- (छ) "सेवा" से अभिप्राय है कि हरियाणा स्वास्थ्य विभाग, नरिन, बर्महारी, ट.बा. लेडी हाउस कीपर (ग्रुप ग) सेवा।

#### भाग II--सेवा में भर्ती

पदों की संख्या तथा उनका स्वरूप।

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट क में दहारे रये पद हगे :

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और बैतनमानों वाले नये पद स्थायी अथवा अस्थायी रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

सेवा में भर्ती किये गये उम्मीदवारों की राष्ट्रियकता, अधिवास तथा चरित्र।

4. (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह निम्नलिखित न हो,--

- (क) भारत का नागरिक ; या
- (ख) नेपाल की प्रजा ; या
- (ग) भूटान की प्रजा ; या

(घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो प्रथम जनवरी, 1962, से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो ; या

(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति, जो पाकिस्तान, बर्मा श्रीलंका, कीनिया, युगांडा तथा तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार), जांबिया, मलावी, जायरे और इथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश में प्रवासित होकर भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो ;

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) या (ङ) से सम्बन्धित व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक हो हरियाणा अधीनस्थ सेवाएं प्रवरण बोर्ड या किसी अन्य भर्ती प्राधि करण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिये प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु निम्नलिखित का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण पत्र जारी किये जाने के बाद ही प्रस्तुत जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह अपनी अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महा-विद्यालय, विद्यालय या ऐसी संस्था के, यदि कोई हो, प्रधान शैक्षणिक अधिकारी, से चरित्र प्रमाण पत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से, जो उसके सम्बन्धी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली-भांति परिचित हों, और उसके विश्वविद्यालय, महा-विद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करें।

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा जो बोर्ड या अन्य भर्ती प्राधिकरण को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को या उससे पहले सत्रह वर्ष से कम और पैंतीस वर्ष की आयु से अधिक का हो।

6. सेवा में पदों पर नियुक्तियां महानिदेशक द्वारा की जायेंगी।

नियुक्ति  
प्राधिकारी।

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 3 में तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 4 में उल्लिखित योग्यताएं तथा अनुभव न रखता हो:

योग्यताएं।

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में अनुभव सम्बन्धी अर्हताओं में बोर्ड या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण के विवेक पर 50 प्रतिशत सीमा तक ढील दी जा सकेगी, यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग प्रवर्गों में उनके लिये आरक्षित पदों को भरने के लिये अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो। ऐसा करने के लिये लिखित रूप में कारण दिये जायेंगे।

अयोग्यताएं।

8. कोई भी व्यक्ति, —

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है; या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुये, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है;

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्थीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकता है।

भर्ती का ढंग ।

9. (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जायेगी,--

(क) नसिंग अधीक्षक की दशा में,—

(i) मैट्रनों में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ख) जन स्वास्थ्य नसिंग अधिकारी की दशा में,—

(i) जिला नसिंग अधिकारियों या जन स्वास्थ्य नर्सों में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ग) प्रिंसिपल ट्यूटर की दशा में,—

(i) सिस्टर ट्यूटरों में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(घ) मैट्रन की दशा में,—

(i) सहायक मैट्रनों या नसिंग सिस्टरों में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ङ) जिला नसिंग अधिकारी की दशा में,—

(i) जन स्वास्थ्य नर्सों में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(च) सहायक मैट्रन की दशा में,—

(i) नसिंग सिस्टरों में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(छ) जन स्वास्थ्य नर्स की दशा में,—

- (i) 50 प्रतिशत नर्सिंग सिस्टर्स या स्टाफ नर्सों में से पदोन्नति द्वारा ; और
- (ii) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ज) सिस्टर ट्यूटर की दशा में,—

- (i) 50 प्रतिशत नर्सिंग सिस्टर्स या स्टाफ नर्सों में से पदोन्नति द्वारा ; और
- (ii) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(झ) नर्सिंग सिस्टर की दशा में,—

- (i) स्टाफ नर्सों में से पदोन्नति द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में से पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ञ) स्टाफ नर्स की दशा में,—

- (i) सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ट) लेडी हाऊस की पर की दशा में,—

- (i) सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(2) सभी पदोन्नतियां, जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो, ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जाएंगी और केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नति के लिये कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

(3) जब सेवा में कोई रिक्ति हो अथवा होने वाली हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के ढंग का निर्धारण करेगा जिस के द्वारा ऐसी रिक्ति भरी जायेगी।

## परिवीक्षा ।

10. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया या हो, तो दो वर्ष की अवधि के लिये और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रहेगा :

परन्तु,—

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुहप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि, परिवीक्षा की अवधि में गिनी जायेगी ;

(ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किये गये कार्य की कोई अवधि नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि की ओर गिानने दी जा सकती है ; और

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जायेगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित अवधि के पूरा होने पर, यदि वह किसी स्थायी पद पर नियुक्त न किया या हो, पुष्ट किये जाने का हकदार नहीं होगा ।

(2) यदि, नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण सन्तोषजनक न रहा हो तो वह,—

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है ; और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो,—

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है ; या

(ii) उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन और शर्तों अनुज्ञात करे ।

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी,—

(क) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में सन्तोषजनक रहा हो तो,—

(i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या

(ii) ऐसे व्यक्ति को यदि वह किसी अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, स्थायी रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या

- (iii) यदि कोई स्थायी रिक्ति न हो तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिबीक्षा अवधि सन्तोषजनक ढंग से पूरी कर ली है ; या
- (ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में सन्तोषजनक न रहा हो तो,--
- (i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता, यदि अथवा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके सम्बन्ध में किसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तों अनुज्ञात करे ; या
- (ii) उसकी परिबीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो वह परिबीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था :

परन्तु परिबीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी यदि कोई है शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता, सेवा में किसी भी पद पर उनके लगातार सेवा काल के अनुसार निश्चित की जाएगी : ज्येष्ठता।

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, वहां ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिये अलग अलग निश्चित की जायगी :

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता नियत करते समय बोर्ड अथवा किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा निश्चित योग्यता क्रम भंग नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता निम्नानुसार निश्चित की जाएगी :--

- (क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य, पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठता होगा ;
- (ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;
- (ग) पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जायेगी, जिनसे पदोन्नत या स्थानान्तरित किये गये थे ; और

(घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जायेगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जायेगा, जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो, तो उनकी नियुक्तियों में सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जायेगी और यदि सेवाकाल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे से सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

सेवा करने का  
दायित्व।

12. (i) सेवा का कोई भी सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा हरियाणा राज्य में या उनके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिये, आदेश दिये जाने पर, ऐसा करने का दायी होगा।

(2) सेवा के किसी भी सदस्य को सेवा के लिये निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्ति किया जा सकता है :—

(i) कोई कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण हरियाणा राज्य के पास है, हरियाणा राज्य के भीतर, नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय; या

(ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो; या

(iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत्त निकाय, जिसका नियन्त्रण सरकार के पास न हो अथवा गैर-सरकारी निकाय :

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) अथवा खण्ड (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिये प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा।

वेतन, छुट्टी,  
पेंशन तथा अन्य  
मामलों।

13. वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य सभी मामलों के सम्बन्ध में, जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियंत्रित होंगे, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन अथवा राज्य संविधान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाये या बनाये गये हों अथवा इसके पश्चात् अपनाये या बनाये जाएं।

अनुशासन,  
शास्तियां तथा  
अपीलें।

14. (1) अनुशासन, शास्तियों तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में सेवा के सदस्य समय-समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, द्वारा नियंत्रित होंगे :



परन्तु ऐसी शक्तियों का स्वरूप, जो लंगई जा सकती है, ऐसी शक्तियाँ लगाने के लिये सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि अथवा नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये वे होंगे जो परिशिष्ट ग में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड एवं अपील) नियम, 1987, के नियम 9 के उप नियम (i) के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन आदेश करने के लिये सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी वह होगा जो इन नियमों के परिशिष्ट घ में विनिर्दिष्ट है।

15. सेवा का प्रत्येक सदस्य, जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निर्देश करे, टीका लगवायेगा तथा पुनः टीका लगवायेगा। टीका लगवाना।

16. सेवा के त्प्रेक सदस्य से जब तक उसने पहले से ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जायेगी। राजनिष्ठा की शपथ।

17. जहाँ सरकार की राय में, इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या उचित हो, वहाँ वह कारण लिखकर, आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है। ढील देने की शक्तियाँ।

18. इन नियमों में दी गई कोई भी बात राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों तथा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग को दिए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी ; आरक्षण।

परन्तु इस प्रकार से किये गये आरक्षण की कुल प्रतिशतता किसी भी समय 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

19. इन नियमों में किसी बात के होते हुये भी, नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझे तो वह ऐसा कर सकता है। विशेष उपबन्ध।

20. सेवा को लागू कोई नियम तथा इन नियमों में से किसी के अनुरूप कोई नियम, जो इन नियमों के प्रारम्भ से तुरन्त पहले लागू हैं, इसके द्वारा, निरसित किए जाते हैं : निरसन तथा व्यावृत्ति।

परन्तु इस प्रकार से निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या कोई कार्यवाही इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई कार्यवाही समझी जायेगी।

## परिशिष्ट क

(देखिये नियम 3)

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थायी	अस्थायी	जोड़	
1	2	3	4	5	6
1	नर्सिंग अधीक्षक	--	1	1	2000-60-2300-75-2900-द० रो०-100-3500 रुपये
2	जन स्वास्थ्य नर्सिंग अधिकारी	--	2	2	2000-60-2300-75-2900-द० रो०-100-3500 रुपये
3	प्रिसिपल ट्यूटर	--	11	11	2000-60-2300-75-2900-द० रो०-100-3500 रुपये
4	मैट्रन	--	15	15	2000-60-2300-द० रो०-75-3200 रुपये
5	जिला नर्सिंग अधिकारी	--	2	2	1640-60-2600-द० रो०-75-2900 रुपये
6	सहायक मैट्रन	--	4	4	1640-60-2600-द० रो०-75-2900 रुपये
7	जन स्वास्थ्य नर्स	--	117	117	1640-60-2600-द० रो०-75-2900 रुपये
8	सिस्टर ट्यूटर	--	28	28	1640-60-2600-द० रो०-75-2900 रुपये
9	नर्सिंग सिस्टर	18	222	240	1640-60-2600-द० रो०-75-2900 रुपये
10	स्टाफ नर्स	130	1520	1650	1400-40-1600-50-2300-द० रो०-60-2600 रुपये
11	लेडी हाऊस कीपर	--	13	13	950-20-1150-द० रो०-25-1500 रुपये

परिशिष्ट ख

(देखिए नियम-7)

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक प्रवृत्ताएं और अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक प्रवृत्ताएं और अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
1	नर्सिंग अधीक्षक		<p>(i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्व-विद्यालय से बी०एस०सी०(आनर्स) नर्सिंग या बी०एस०सी० (पोस्ट बेसिक) नर्सिंग या मिडवाइफ प्रशिक्षण के साथ सामान्य नर्सिंग में डिप्लोमा;</p> <p>(ii) मैट्रन के रूप में पांच वर्ष का अनुभव;</p> <p>(iii) मिडवाइफ प्रशिक्षण के साथ हरियाणा नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल से ए श्रेणी में रजिस्टर्ड नर्स;</p> <p>(iv) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।</p>
2	जन स्वास्थ्य नर्सिंग अधिकारी		<p>(i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्व-विद्यालय से नर्सिंग शिक्षा एवं प्रशासन में डिप्लोमा, या जन स्वास्थ्य नर्स का डिप्लोमा;</p> <p>(ii) जिला नर्सिंग अधिकारी/जन स्वास्थ्य नर्स के रूप में कुल तीन वर्ष का अनुभव;</p> <p>(iii) मिडवाइफ प्रशिक्षण के साथ हरियाणा नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल से ए श्रेणी में रजिस्टर्ड नर्स</p> <p>(iv) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।</p>
3	प्रिंसिपल ट्यूटर		<p>(i) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान/विश्व-विद्यालय से बी०एस०सी०(आनर्स) नर्सिंग या बी०एस०सी०(पोस्ट बेसिक) नर्सिंग या नर्सिंग शिक्षा एवं प्रशासन में डिप्लोमा</p>

1	2	3	4
			<p>(ii) सिस्टर ट्यूटर के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ;</p> <p>(iii) मिडवाइफ प्रशिक्षण के साथ हरियाणा नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल से ए श्रेणी से रजिस्टर्ड नर्स ;</p> <p>(iv) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।</p>
	4 मैट्रन		<p>(i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय से बी० एस० सी० (ग्रानर्ज) नर्सिंग या बी० एस० सी० (पोस्ट वेसिक) नर्सिंग या मिडवाइफ प्रशिक्षण के साथ सामान्य नर्सिंग में डिप्लोमा ;</p> <p>(ii) सहायक मैट्रन के रूप में दो वर्ष का अनुभव या नर्सिंग सिस्टर के रूप में सात वर्ष का अनुभव ;</p> <p>(iii) मिडवाइफ प्रशिक्षण के साथ हरियाणा नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल से ए श्रेणी में रजिस्टर्ड नर्स ;</p> <p>(iv) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।</p>
	5 जिला नर्सिंग अधिकारी		<p>(i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय से नर्सिंग शिक्षा एवं प्रशासन में डिप्लोमा ; या जन स्वास्थ्य नर्स का डिप्लोमा ;</p> <p>(ii) जन स्वास्थ्य नर्स के रूप में दो वर्ष का अनुभव ;</p> <p>(iii) मिडवाइफ प्रशिक्षण के साथ हरियाणा नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल से ए श्रेणी में रजिस्टर्ड नर्स ;</p>

1

2

3

4



6 सहायक मैट्रन

(iv) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।

(i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/  
विश्वविद्यालय से बी० एस० सी०  
(ग्रार्नज) नर्सिंग या बी० एस० सी०  
(पोस्ट बेसिक) नर्सिंग या मिडवाइफ  
प्रशिक्षण के साथ सामान्य नर्सिंग में  
डिप्लोमा ;

(ii) नर्सिंग सिस्टर के रूप में पांच  
वर्ष का अनुभव ;

(iii) मिडवाइफ प्रशिक्षण के साथ  
हरियाणा नर्सिंग रजिस्ट्रेशन  
कौंसिल से ए श्रेणी में रजिस्टर्ड नर्स ;

(iv) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।

7 जन स्वास्थ्य नर्स

(i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/  
विश्वविद्यालय से नर्सिंग शिक्षा एवं  
प्रशासन में डिप्लोमा ; या  
जन स्वास्थ्य नर्स का डिप्लोमा ;

(ii) नर्सिंग सिस्टर के रूप में पांच  
वर्ष का अनुभव या स्टाफ नर्स के  
रूप में 10 वर्ष का अनुभव ;

(iii) मिडवाइफ प्रशिक्षण के साथ  
हरियाणा नर्सिंग रजिस्ट्रेशन  
कौंसिल से ए श्रेणी में रजिस्टर्ड  
नर्स ;

(iv) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का  
ज्ञान ।

(i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/  
विश्वविद्यालय से नर्सिंग शिक्षा एवं  
प्रशासन में डिप्लोमा ; या  
जन स्वास्थ्य नर्स का डिप्लोमा ;

(ii) नर्सिंग सिस्टर के रूप में पांच  
वर्ष का अनुभव ; या स्टाफ नर्स के  
रूप में 10 वर्ष का अनुभव ;

(iii) मिडवाइफ प्रशिक्षण के साथ  
हरियाणा नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल  
से ए श्रेणी में रजिस्टर्ड नर्स ;

(iv) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का  
ज्ञान ।

8 सिस्टर ट्यूटर

(i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/  
विश्वविद्यालय से बी० एस० सी०

(i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/  
विश्वविद्यालय से बी० एस० सी०

1	2	3	4
		(आनर्ज) नर्सिंग या बी० एस० सी० सी० (पोस्ट बेसिक) नर्सिंग ; या नर्सिंग शिक्षा एवं प्रशासन में डिप्लोमा ;	(आनर्स) नर्सिंग या बी० एस० सी० (पोस्ट बेसिक) नर्सिंग ; या नर्सिंग शिक्षा एवं प्रशासन में डिप्लोमा ;
		(ii) नर्सिंग सिस्टर के रूप में पांच वर्ष का अनुभव या स्टाफ नर्स के रूप में दस वर्ष का अनुभव ;	(ii) नर्सिंग सिस्टर के रूप में पांच वर्ष का अनुभव या स्टाफ नर्स के रूप में दस वर्ष का अनुभव ;
		(iii) मिडवाइफ प्रशिक्षण के साथ हरियाणा नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल से ए श्रेणी में रजिस्टर्ड नर्स ;	(iii) मिडवाइफ प्रशिक्षण के साथ हरियाणा नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल से ए श्रेणी में रजिस्टर्ड नर्स ;
		(iv) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।	(iv) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।
	9 नर्सिंग सिस्टर		(i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय से बी० एस० सी० (आनर्ज) नर्सिंग या बी० एस० सी० (पोस्ट बेसिक) नर्सिंग या मिडवाइफ प्रशिक्षण के साथ सामान्य नर्सिंग में डिप्लोमा ;
			(ii) स्टाफ नर्स के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ;
			(iii) मिडवाइफ प्रशिक्षण के साथ हरियाणा नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल से ए श्रेणी में रजिस्टर्ड नर्स ;
			(iv) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।
	10 स्टाफ नर्स	(i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय से बी० एस० सी० (आनर्ज) नर्सिंग या बी० एस० सी० (पोस्ट बेसिक) नर्सिंग या मिडवाइफ प्रशिक्षण के साथ सामान्य नर्सिंग में डिप्लोमा ;	(i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय से बी० एस० सी० (आनर्ज) नर्सिंग या बी० एस० सी० (पोस्ट बेसिक) नर्सिंग या मिडवाइफ प्रशिक्षण के साथ सामान्य नर्सिंग में डिप्लोमा ;

1	2	3	4
		(ii) मिडवार्डफ प्रशिक्षण के साथ हरियाणा नर्सिज रजिस्ट्रेशन कौंसिल से ए श्रेणी में रजिस्टर्ड नर्स ;	(ii) मिडवार्डफ प्रशिक्षण के साथ हरियाणा नर्सिज रजिस्ट्रेशन कौंसिल से ए श्रेणी से रजिस्टर्ड नर्स ;
		(iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।	(iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।
11	लेडी हाउस कीपर	(i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/से 10+2 या इसके समकक्ष ;	(i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10+2 या इसके समकक्ष ;
		(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ;	(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ;
		(iii) गृह विज्ञान डिप्लोमा धारकों को प्राथमिकता दी जायेगी ।	(iii) गृह विज्ञान डिप्लोमा धारकों को प्राथमिकता दी जायेगी ।

परिशिष्ट--ग

[(देखिए नियम (14) (1)]

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लाने के लिये सक्षम प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
1	नर्सिग अधीक्षक	महानिदेशक	1. छोटी शास्तियां	महानिदेशक	सरकार
2	जन स्वास्थ्य नर्सिग अधिकारी		(i) वैयक्तिक फाईल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुये चेतावनी ;		
3	प्रिसिपल ट्यूटर		(ii) परिनिन्दा ;		
4	मैट्रन		(iii) पदोन्नति रोकना ;		
5	जिला नर्सिग अधिकारी		(iv) आदेशों की उपेक्षा या उल्लंघन द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को या		
6	सहायक मैट्रन		ऐसी कम्पनी, संगम तथा व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या		
7	जन स्वास्थ्य नर्स				

1	2	3	4
8	सिस्टर ट्यूटर	नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण सरकार के पास है या संसद या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय को हुई धन सम्बन्धी हानि की पूरी या उसके भाग की वेतन से वसूली ;	
9	नर्सिंग सिस्टर	(v) संचयी प्रभाव के बिना वेतन वृद्धियां रोकना ;	
10	स्टाफ नर्स	2. बड़ी शास्तियां	
11	लेडी हाऊस कीपर्स	(vi) संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धियां रोकना ;	
		(vii) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निदेशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतन अर्जित करे या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर ऐसी अवनति उसकी भावी वेतन वृद्धियां स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं ;	
		(viii) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर, ऐसी अवनति, जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान , ग्रेड अथवा पद या सेवा पर, जिससे वह अवनत किया गया था, पदोन्नति के लिये साधारणतः रोक होगी, ऐसा जिस ग्रेड अथवा पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था, उस	



1	2	3	4
		पर बहाली सम्बन्धी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों सम्बन्धी अतिरिक्त निर्देशों के साथ या उसके बिना होगा ;	
		(ix) अनिवार्य सेवा निवृत्ति ;	
		(x) सेवा से हटाया जाना, जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिये निरर्हता नहीं होगी ;	
		(xi) सेवा से पदच्युति, जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिये सामान्यतः निरर्हता होगी।	

परिशिष्ट घ

[(देखिए नियम (14) (2)]

क्रम संख्या	पदनाम	आदेश का स्वरूप	आदेश देने के लिये सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5
1	नर्सिंग अधीक्षक	(i) पेशन को नियंत्रित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य/अतिरिक्त पेशन की राशि में कमी करना या रोकना;	महानिदेशक	सरकार
2	जन स्वास्थ्य नर्सिंग अधिकारी			
3	प्रिसिपल ट्यूटर	(ii) उसकी अधिर्षिता के लिये नियत आयु के होने से पूर्व अन्यथा, नियुक्ति की समाप्ति।		
4	मैट्रन			
5	जिला नर्सिंग अधिकारी			
6	सहायक मैट्रन			
7	जन स्वास्थ्य नर्स			
8	सिस्टर ट्यूटर			
9	नर्सिंग सिस्टर			
10	स्टाफ नर्स			
11	लेडी हाऊस कीपर			

बीना ईगलटन,  
वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,  
स्वास्थ्य विभाग।

(Authorised English translation)

**HARYANA GOVERNMENT****HEALTH DEPARTMENT****Notification**

The 4th February, 1998

No. G.S.R 71./Const./Art.309/98.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana Health Department, Nursing Personnel, and Lady House Keepers (Group C) Service, namely :—

**PART I—GENERAL**

Short title.

1. These rules may be called the Haryana Health Department, Nursing Personnel, and Lady House Keepers (Group C) Service Rules, 1998.

Definitions.

2. In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Board" means the Subordinate Services Selections Board;

(b) "Director General" means the Director General Health Services, Haryana ;

(c) "direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the Service or by transfer of any official already in the service of the Government of India or any State Government ;

(d) "Government" means the Haryana Government in the Administrative Department ;

(e) "institution " means,—

(i) any institution established by law in force in the State of Haryana ; or

(ii) any other institution recognised by the Government for the purpose of these rules ;

(f) "recognised University" means,—

(i) any university incorporated by law in India ; or

(ii) in the case of a degree, diploma or certificate obtained as a result of an examination held before the 15th August, 1947 the Punjab, Sind or Dacca University ; or

(iii) any other University which is declared by the Government to be a recognised university for the purpose of these rules ;

(g) "Service" means the Haryana Health Department Nursing Personnel and Lady Keepers (Group C) Service.

PART II—RECRUITMENT TO SERVICE

3. The Service shall comprise the posts shown in Appendix A to these rules :

Number and character of posts

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of Government to make additions to, or reductions in, the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

4. (1) No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is,—

Nationality, domicile and character of candidates appointed to Service.

(a) a citizen of India ; or

(b) a subject of Nepal ; or

(c) a subject of Bhutan ; or

(d) a Tibetan refugee who came over to India before the First day of January, 1962, with the intention of permanently settling in India ; or

(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India ;

Provided that a person belonging to any of the categories (b), (c) (d) or (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

(2) A person, in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Board, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him, by the Government.

(3) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless she produces a certificate of character from the Principal Academic Officer of the university, college, school or institution last attended, if any and similar certificate from two other responsible persons, not being her relatives, who are well acquainted with her in her private life and are unconnected with her university, college, school or institution.

5. No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment who is less than seventeen years or more than

Age.

thirty-five years of age, on or before the last date of submission of application to the Board.

Appointing authority.

6. Appointment to any post in the Service shall be made by the Director General.

Qualifications

7. No person shall be appointed to any post in the Service unless she is in possession of qualifications and experience specified in column 3 of Appendix B to these rules in the case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of appointment other than by direct recruitment.

Provided that in the case of appointment by direct recruitment, the qualifications regarding experience shall be relaxable to the extent of 50% at the discretion of the Board in case sufficient number of candidates belonging to Scheduled Caste, Backward Classes, Ex-service-men and Physically Handicapped categories, possessing the requisite experience, are not available to fill up the vacancies reserved for them after recording reasons for so doing in writing.

Disqualification.

8. No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to any post in the Service :

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

Mode of recruitment.

9. (1) Recruitment to the Service shall be made—

(i) in the case of the Nursing Superintendent,—

(a) by promotion from amongst Matrons ; or

(b) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(ii) In the case of Public Health Nursing Officer,—

(a) by promotion from amongst District Nursing Officers or Public Health Nurses ; or

(b) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(iii) in the case of Principal Tutor :—

- (a) by promotion from amongst Sister Tutor ; or
- (b) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India
- (iv) in the case of Matron,—
- (a) by promotion from amongst Assistant Matrons or sisters ; or
- (b) by transfer or deputation of an official already in the service any State Government or the Government of India ;
- (v) in the case of District Nursing Officer,—
- (a) by promotion from amongst Public Health Nurses, or
- (b) by transfer or deputation of an officer/official already in the service of any State Government or the Government of India ;
- (vi) In the case of Assistant Matron,—
- (a) by promotion from amongst Nursing Sisters ; or
- (b) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;
- (vii) In the case of Public Health Nurse,—
- (a) 50% by promotion from amongst Nursing Sisters or Staff Nurses; and
- (b) 50% by direct recruitment, or
- (c) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;
- (viii) In the case of Sister Tutor,—
- (a) 50% by promotion from amongst Nursing Sisters or Staff Nurses ; and
- (b) 50% by direct recruitment ; or
- (c) by transfer or deputation of an official already in the service of the Government of India or any State Government ;
- (ix) In the case of Nursing Sister,—
- (a) by promotion from amongst Staff Nurses ; or
- (b) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(x) In the case of Staff Nurse,—

(a) by direct recruitment ; or

(b) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(xi) In the case of Lady House Keeper,—

(a) by direct recruitment ; or

(b) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

(2) All promotions unless otherwise provided, shall be made on seniority-cum-merit/fitness basis and seniority alone shall not confer any right to such promotions.

(3) As and when any vacancy occur or is about to occur, unless otherwise provided, the appointing authority shall determine the mode by which the same shall be filled in

#### Probation

10. (1) Persons appointed to any post in the Service shall remain on probation for a period of two years, if appointed by direct recruitment and one year if appointed otherwise :

Provided that—

(a) any period, after such appointment, spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation ; and

(b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to any post in the Service, may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rules ; and

(c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but not person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.

(2) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, a if may,—

(a) if such person is appointed by direct recruitment discontinue her services ; and

(b) if such person appointed otherwise than by direct recruitment :—

(i) revert her to her former posts ; or

(ii) deal with her in such other manner as the terms and conditions of the previous appointment permit.

(3) On the completion of the period of probation of a person the appointing authority may,—

(a) if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory,—

(i) confirm such person from the date of her appointment, if appointed against a permanent vacancy ; or

(ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy ; or

(iii) declare that she has completed her probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy ; or

(b) if his work or conduct has, in its opinion, been not satisfactory,—

(i) dispense with his Service, if appointed by direct recruitment, if appointed otherwise, revert him to his former post or deal with him in such other manner as the terms and conditions of previous appointment permit ; or

(ii) extend her period of probation and thereafter pass such order as it could have passed on the expiry of the first period of probation :

Provided that the total period of probation including extension if any, shall not exceed three years.

11. Seniority, *inter se* of members of the Service shall be determined by the length of continuous Service on any post in the Service:

Seniority.

Provided that where there are different cadres in the Service, the seniority shall be determined separately for such cadre :

Provided further that in the case of a member appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the Board shall not be disturbed in fixing the seniority :

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows :—

(a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer ;

(b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer ;

(c) in the case of a member appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred; and

(d) in the case of a member appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member, who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment, and if the rate of pay drawn are also the same, then by the length of their Service in the appointments and if the length of such Service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

Liability  
to serve.

12. (1) A member of the Service shall be liable to serve at any place, whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.

(2) A member of the Service may also be deputed to serve under—

(i) a company, an association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a Municipal Corporation or a local authority or university within the State of Haryana ;

(ii) the Central Government or a Company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government ; or

(iii) any other State Government, an international organisation, an autonomous body not controlled by the Government or a private body ;

Provided that no member of the Service shall be deputed to serve the Central or any other State Government or any organisation or body referred to in clauses (ii) or (iii) except with his consent.

Pay, Leave,  
Pension  
and Other  
matters.

13. In respect of pay, leave pension and all other matters, not expressly provided for in these rules, the members of the Service shall be governed by such rules and regulations as may have been or may hereafter be adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislature.

Discip-  
line, pena-  
lties and  
appeals.

14. (1) In the matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, as amended from time to time :

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.



(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of sub-rule (1) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, and appellate authority shall be as specified in Appendix D to these rules.

15. Every member of the Service shall get himself vaccinated and revaccinated as and when the Government so directs by a special or general order.

Vaccination.

16. Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established.

Oath of  
allegiance.

17. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Power of  
relaxation.

18. Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment, if it is deemed expedient to do so.

Special  
Provisions.

19. Nothing contained in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-servicemen, Physically handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard, from time to time:

Reserva-  
tions.

Provided that the total percentage of reservations so made shall not exceed fifty percent at any time.

20. Any rule applicable to the Service and corresponding to any of these rules, which is in force immediately before the commencement of these rules, is hereby repealed ;

Repeal  
and Savings.

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

## APPENDIX A

(See rule 3)

Sr. No.	Designation of posts	Number of Posts			Scale of pay (in Rupees)
		Perma- nent	Tempo- rary	Total	
1	2	3	4	5	6
1	Nursing Superintendent	..	1	1	2000—60—2300—75—2900— EB—100—3500
2	Public Health Nursing Officer	..	2	2	2000—60—2300—75—2900— EB—100—3500
3	Principal Tutor	..	11	11	2000—60—2300—75—2900— EB—100—3500
4	Matron	..	15	15	2000—60—2300—EB—75— 3200
5	District Nursing Officer	..	2	2	1640—60—2600—EB—75— 2900
6	Assistant Matron	...	4	4	1640—60—2600—EB—75— 2900
7	Public Health Nurse	..	117	117	1640—60—2600—EB—75— 2900
8	Sister Tutor	—	28	28	1640—60—2600—EB—75— 2900
9	Nursing Sister	18	222	240	1640—60—2600—EB—75— 2900
10	Staff Nurse	130	1520	1650	1400—40—1600—50—2300 EB—60 2600
11	Lady House Keeper	..	13	13	950—20—1150—EB—25—1500

3

APPENDIX B

(See rule 7)

Sr. No.	Designation of posts	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4
1	Nursing Superintendent		(i) B.Sc (Hons) Nursing or B.Sc (post Basic) Nursing ; OR Diploma in General Nursing with Midwife Training from a recognised Institute/ University ;  (ii) Five Years experience as Matron ;  (iii) A division Nurse (with midwife training) registered with Haryana Nurses Registration Council ;  (iv) Hindi upto Matric standard ;
2	Public Health Nursing Officer		(i) Diploma in Nursing Education and Administration ; OR  Diploma in Public Health Nurse from a recognised Institute/University ;  (ii) Total three years experience as District Nursing Officer or Public Health Nurse ;  (iii) A division Nurse (with midwife training) registered with Haryana Nurses Registration Council ;

1

2

3

4

Sr. Design  
No.

1

1 Nur

2 Pul  
Of

3 Pri

4 M

5 L

6 /

7

8

9

10

11

✓ 3 Principal Tutor

4 Matron

5 District Nursing  
Officer.

(iv) Hindi upto Matric standard ;

(i) B. Sc (Hons) Nursing or  
B. Sc (post Basic) Nursing ;  
OR  
Diploma in Nursing Educa-  
tion and Administration from  
a recognised Institute/  
University ;(ii) Five years experience as  
Sister Tutor ;(iii) A division Nurse (with  
Midwife training) registered  
with Haryana Nurses Regis-  
tration Council ;(iv) Hindi upto Matric stan-  
dard ;(i) B. Sc. (Hons) Nursing or  
B. Sc (post Basic) Nursing ;  
Or  
Diploma in General Nursing  
with Midwife Training from  
a recognised Institute/  
University ;(ii) Two years experience as  
Assistant Matron ; or seven  
years experience as Nursing  
sister ;(iii) A division Nurse (with  
Midwife training) registered  
with Haryana Nurses  
Registration Council ;(iv) Hindi upto Matric stan-  
dard ;(i) Diploma in Nursing  
Education and Administra-  
tion ; OR  
Diploma in Public Health  
Nurse from a recognised  
Institute/University ;

5 Assi

7 Pu

2

3

6 Assistant Matron.

(ii) Two years experience as Public Health Nurse ;

(iii) A division Nurse (with Midwife training) registered with Haryana Nurses Registration Council ;

(iv) Hindi upto Matric standard ;

(i) B. Sc. (Hons) Nursing or B. Sc (Post Basic) Nursing ;

OR  
Diploma in General Nursing with Midwife Training from a recognised Institute/ University ;

(ii) Five years experience as Nursing sister ;

(iii) A division Nurse (with Midwife training) registered with Haryana Nurses Registration Council ;

(iv) Hindi upto Matric standard ;

7 Public Health Nurse.

(i) Diploma in Nursing Education and Administration ; OR  
Diploma in Public Health Nurse from a recognised Institute/University ;

(i) Diploma in Nursing Education and Administration ; OR  
Diploma in Public Health Nurse from a recognised Institute/University

(ii) Five years experience as Nursing Sister ; OR  
Ten years experience as Staff Nurse ;

(ii) Five years experience as Nursing Sister ; OR  
Ten years experience as Staff Nurse ;

(iii) A division Nurse (with Midwife training) registered with Haryana Nurses Registration Council ;

(iii) A division Nurse (with Midwife training) registered with Haryana Nurses Registration Council ;

(iv) Hindi upto Matric standard ;

(iv) Hindi upto Matric standard ;

1	2	3	4	Sr. No.	Designation of posts	App au
8	Sister Tutor.	(i) B.Sc (Hons) Nursing or B.Sc (post Basic) Nursing ; OR Diploma in Nursing Education and Administration from a recognised Institute/University ; (ii) Five years experience as Nursing sister ; OR Ten years experience as staff Nurse ; (iii) A division Nurse (with Midwife Training) registered with Haryana Nurses Registration Council ; (iv) Hindi upto Matric standard ;	(i) B.Sc (Hons) Nursing or B.Sc (post Basic) Nursing , OR Diploma in Nursing Education and Administration from a recognised Institute/ University ; (ii) Five years experience as Nursing sister ; OR Ten years experience as staff Nurse ; (iii) A division Nurse (with Midwife training) registered with Haryana Nurses Registration Council ; (iv) Hindi upto Matric standard ;	1	Nursing Superintendent	D
9	Nursing Sister.	(i) B.Sc (Hons) Nursing or B.Sc (post Basic) Nursing ; OR Diploma in General Nursing with Midwife Training from a recognised Institute/ University ; (ii) A division Nurse (with midwife training) registered with Haryana Nurses Registration Council ; (iii) Hindi upto Matric standard ;	(i) B.Sc (Hons) Nursing or B.Sc (post Basic) Nursing ; OR Diploma in General Nursing with Midwife Training from a recognised Institute/ University ; (ii) Five years experience as Staff Nurse ; (iii) A division Nurse (with Midwife training) registered with Haryana Nurses Registration Council ; (iv) Hindi upto Matric standard ;	2	Public Health Nursing Officer	C
10	Staff Nurse.	(i) B. Sc(Hons) Nursing or B. Sc(post Basic) Nursing OR Diploma in General Nursing with Midwife Training from a recognised Institute/ University ; (ii) A division Nurse (with midwife training) registered with Haryana Nurses Registration Council ; (iii) Hindi upto Matric standard ;	(i) B. Sc(Hons) Nursing or B.Sc(post Basic) Nursing ; OR Diploma in General Nursing with Midwife Training from a recognised Institute/ University ; (ii) A division Nurse (with midwife training) registered with Haryana Nurses Registration Council ; (iii) Hindi upto Matric standard	3	Principal Tutor	
11	Lady House Keeper.	(i) 10+2 from any recognised Institution ; (ii) Hindi upto Matric standard ; (iii) Preference will be given to Diploma in Home Science.	(i) 10+2 from any recognised Institution ; (ii) Hindi upto Matric standard ; (iii) Preference will be given to Diploma in Home Science.	4	Matron	
				5	District Nursing Officer	
				6	Assistant Matron	
				7	Public Health Nurse	
				8	Sister Tutor	
				9	Nursing Sister	
				10	Staff Nurse	
				11	Lady House Keeper	

APPENDIX C

[See rule 14(19)]

Sr. No.	Designation of posts	Appointing authority	Nature of penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate authority	Second and final appellate authority, if any
1	2	3		6	7	
<b>Minor penalties</b>						
1	Nursing Superintendent	Director-General	(i) warning with a copy in the personal file (character roll);	Director-General	Government	—
2	Public Health Nursing Officer	—	(ii) censure			
3	Principal Tutor		(iii) withholding of promotions;			
4	Matron		(iv) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence or breach of orders to the Central Government or a State Government			
5	District Nursing Officer		or to a company and association or a body of individuals			
6	Assistant Matron		whether incorporated or not, which is wholly or substantially			
7	Public Health Nurse		owned or controlled by the Government or to a local authority or University set up by an Act of Parliament or			
8	Sister Tutor					
9	Nursing Sister					
10	Staff Nurse					
11	Lady House Keeper					

ons) Nursing or  
t Basic) Nursing ,

in Nursing Educa-  
nd Administration  
recognised Institute/

rs experience as  
ister ; OR  
perience as staff

on Nurse (with  
ing) registered with  
urses Registration

atric stand-

) Nursing or  
sic) Nursing ; OR  
General Nursing  
Training from a  
stitute/ University ;  
experience as

n Nurse (with  
ng) registered  
na Nurses  
ouncil ;

atric standard ;  
Nursing or  
) Nursing;

eneral Nurs-  
ife Training  
ed Institute/

urse (with  
g) registered  
a Nurses  
ouncil ;

ric standard

recognised

c standard;  
be given  
Home

*in Contd.*

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

/of the Legislature  
of a State; and Director Govern-  
General ment

withholding of  
increments of  
pay without  
cumulative effect;

**(2) Major Penalties :**

(vi) withholding of  
increments of pay  
with cummulative  
effect;

(vii) reduction to a  
lower stage in  
the time scale of  
pay for a specified  
period, with  
further directions  
as to whether or  
not the Govern-  
ment employee  
will earn incre-  
ments of pay  
during the period  
of such reduction  
and whether on  
the expiry of  
such period, the  
reduction will or  
will not have the  
effect of post-  
poning the future  
increments of his  
pay;

(viii) reduction to a  
lower scale of  
pay, grade, posts  
or service which  
shall ordinarily  
be a bar to the  
promotion of the  
Government  
employee to the  
time scale of pay,  
grade, post of  
service from which